


54

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म०प्र०,



न 436-II/2005

छोटे तनय बजीर वक्श मुसलमान निवासी ग्राम रेहदा तहसील चितरंगी जिला
सीधी १ म०प्र०१ आवेदक/अपीलार्थी

वनाम

पारस तनय सुगन लाल बेसवार निवासी ग्राम रेहदा तहसील चितरंगी जिला
सीधी १ म०प्र०१ अनावेदक/रेस्पाण्डेंट

द्वितीय अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व
प्रकरण क्रमांक - 101/अपील/01x02 आदेश दिनांक
13.12.04

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-49१ 2१ म०प्र० मु-
राजस्व संहिता 1959

क्रमांक 468
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 5.4.05 द्वारा
राजस्व मण्डल, ग्वालियर



मान्यवर,

निम्नलिखित आधारों पर द्वितीय अपील प्रस्तुत है:-

1. यह कि आदेश आधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं सहज न्याय के विपरीत होने के कारण काचिल निरस्तगी है ।
2. यह कि प्रकरण में सहायक बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में अपने आप अपूर्ण था किन्तु अपूर्ण एवं आधे अधूरे प्रतिवेदन का बिना सूक्ष्म - विश्लेषण किये बिना निर्णय पारित करने में आधीनस्थ न्यायालय ने बहुत बड़ी ग़लती की है इस कारण भी आदेश आधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है
3. यह कि ग्राम रेहदा तहसील चितरंगी की आराजी खसरा क्रमांक -172/

R

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. A.4.36.I/05 जिला सीधा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिगणकों आदि के हस्ताक्षर
27/4/16	<p>अवेपत्रन अफिस की प्रदीप जी वास्तव उफा अगो स्वम उफा रिमाई भाग है। 26-8-16 अक्षय</p>	<p>26/08/16 29-0/2-</p>
26/8/16	<p>अवेपत्रन अफिस की प्रदीप जी वास्तव उफा अगो स्वम उफा रिमाई भाग है। 29-12-16 अक्षय</p>	<p>29-12-16 26/</p>
29.12.16	<p>अवेपत्रन की अफिस को कार्ड उपलब्ध नहीं। पूर्व पेशी पर उनके अफिस उपलब्ध था अवेपत्रन एवं उनके अफिस को कार्ड वार पुनः लगावई गई, परन्तु कार्ड उपलब्ध नहीं। अवेपत्रन के सूचना उपरांत अनुपलब्ध रहने के कारण प्रकरण अगले पेशी के सम्पन्न किया जाता है। अवेपत्रन वारक भेजा गया प्रकरण सम्बन्धित रिपोर्ट है। अक्षय</p>	

न 43



Handwritten mark at the bottom left.